

मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक. 215/257/2018/7-3

दिनांक 19/06/2018

प्रति

समस्त जिला कलेक्टर

मध्य प्रदेश

विषय : सूखा की स्थिति से निपटने हेतु स्थाई राहत निर्देश.

प्रदेश में मानसून की कमी, अवर्षा, अल्पवर्षा, सूखा-अंतराल (dry spell) के कारण समय-समय पर सूखा की स्थिति बनती है. सूखा एवं सूखे के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं जैसे की पेयजल, पलायन एवं अन्य समस्याओं से निपटने हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 03 नवम्बर 2007 को स्थाई निर्देश जारी किये गए थे. वर्तमान में दिसम्बर 2016 में भारत सरकार द्वारा सूखा प्रबंधन हेतु नवीन सूखा प्रबंधन मैनुअल जारी की गयी है जिसके कारण पूर्व में जारी किये गए निर्देशों में संशोधन आवश्यक है. सूखा घोषणा एवं प्रबंधन हेतु पूर्व के निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

1. सूखा हेतु वैज्ञानिक मापदंड एवं मौका सत्यापन की विधि

1.1. वैज्ञानिक मापदंड. सूखा की घोषणा वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर भारत सरकार के सूखा प्रबंधन मैनुअल - 2016 में उल्लेखित विधि अनुसार की जाएगी. सूखा की घोषणा से पूर्व तीन चरणों में सूखा का अनुमान लगाना आवश्यक होगा. प्रथम चरण ट्रिगर - 1 होगा जिसमें वर्षा के आंकड़ों को जांचा जाएगा. द्वितीय चरण ट्रिगर - 2 होगा जिसमें बनी के क्षेत्र, जलविज्ञान सम्बन्धी सूचकांकों, सुदूर संवेदन के सूचकांकों एवं मृदा नमी के सूचकांको को जांचा जाएगा. तृतीय चरण में मौका सत्यापन कराया जाएगा जिसमें ट्रिगर - 1 एवं ट्रिगर - 2 के निष्कर्षों की पुष्टि की जाएगी.

1.2. ट्रिगर - 1. ट्रिगर - 1 का पूर्ण होना अनिवार्य होगा और इसके पूर्ण न होने की दशा में ट्रिगर-2 पर विचार नहीं किया जाएगा. ट्रिगर - 1 वर्षा के आंकड़ों पर आधारित है. ट्रिगर - 1 हेतु तीन मापदंड होंगे जिसमें किसी भी एक मापदंड की पूर्ति होने पर ट्रिगर - 1 पूर्ण माना जाएगा. ट्रिगर - 1 हेतु तीन मापदंड निम्नलिखित हैं:-

- 1) वर्षा में कमी (deficit in rainfall),
- 2) सूखा-अंतराल (dry spell) एवं
- 3) मानक वर्षा सूचकांक (standard precipitation index).

1.3. अवर्षा अथवा वर्षा में कमी. प्रदेश की सभी तहसीलों में वर्षा मापक यंत्र स्थापित है जिसकी दैनिक जानकारी जिला स्तर पर अधीक्षक, भू अभिलेख द्वारा संधारित की जाती है. खरीफ़ हेतु दक्षिण-पश्चिमी मानसून काल (1 जून से 30 सितम्बर) में सामान्य से 75 % से कम वर्षा होने की स्थिति में अर्थात वर्षा में 25 % या उससे अधिक कमी होने की स्थिति में ट्रिगर - 1 पूर्ण माना जाएगा. इसी प्रकार रबी हेतु उत्तर-पूर्वी मानसून काल (1 दिसम्बर से 31 मार्च) में सामान्य से 75 % से कम वर्षा होने की स्थिति में अर्थात वर्षा में 25 % या उससे अधिक कमी होने की स्थिति में ट्रिगर - 1 पूर्ण माना जाएगा.

1.4. सूखा-अंतराल (Dry Spell). सूखा अंतराल भारी मृदा में चार सप्ताह एवं हल्की मृदा में तीन सप्ताह तक लगातार अल्पवर्षा या अवर्षा की स्थिति है. यदि 3-4 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह वर्षा में सामान्य से 50 % या अधिक की कमी होती है तो वह अंतराल सूखा-अंतराल हेतु मानी होगा. सूखा अंतराल महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार 3-4 सप्ताह तक अल्प/अवर्षा होने से मृदा में नमी का अभाव की स्थिति बन सकती है जिससे फसल हानि की संभावना बन सकती है. सूखा-अंतराल की स्थिति में भी ट्रिगर - 1 पूर्ण माना जाएगा.

1.5. मानक वर्षा सूचकांक (SPI). मानक वर्षा सूचकांक (standard precipitation index) एक नवीन सूचकांक है जिसकी गणना वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग द्वारा राज्य शासन को उपलब्ध कराई जाती है. प्रभावित क्षेत्र का SPI से -1.0 से कम होने की दशा में ट्रिगर - 1 पूर्ण माना जाएगा. ट्रिगर - 1 पूर्ण होने पर ट्रिगर - 2 हेतु परीक्षण किया जाएगा.

1.6. ट्रिगर - 2. ट्रिगर 1 पूर्ण होने उपरान्त ही ट्रिगर - 2 हेतु परीक्षण किया जाएगा. जिस प्रशासनिक इकाई ट्रिगर - 1 के मापदंडों को पूर्ण नहीं करती उसके लिए ट्रिगर - 2 पर विचार नहीं किया जाएगा. ट्रिगर - 2 के चार मापदंड निम्नानुसार :-

1. बोनी का क्षेत्र (Net Sown Area),
2. जलविज्ञान सम्बन्धी सूचकांक (Hydrological Index)
3. सुदूर संवेदन सूचकांक (Remote Sensing Index)
4. मृदा नमी के सूचकांक (Soil Moisture Index)

1.7. बोनी का क्षेत्र: बोनी का क्षेत्र सूखा के भौगोलिक क्षेत्र एवं गंभीरता का महत्वपूर्ण सूचकांक है. बोनी सीधे-सीधे वर्षा एवं मृदा में नमी की उपलब्धता से जुड़ी है विशेषकर जब सूखा प्रारंभिक समयावधि में पड़ता है अथवा मानसून का आगमन विलम्ब से होता है. खरीफ़ फसल में बोनी में 15% कमी सूखा की स्थिति को अंकित करता है. बोनी में 15% या इससे अधिक की कमी क्षेत्र को सूखा घोषित हेतु इस मापदंड को पूरा करता है. यदि बोनी के क्षेत्र में 25% या अधिक की कमी होती है अथवा अगस्त के अंत तक फसल का क्षेत्र वस्ताविक बोनी से घट कर 25% से कम होता है तो उस स्थिति में गंभीर सूखा हेतु यह मापदंड पूर्ण होगा. रबी फसल में नवम्बर के अंत की स्थिति में बोनी में 15% या अधिक की कमी सामान्य सूखा एवं 25% से अधिक की कमी इस मापदंड को पूर्ण करेगी.



1.8. जल विज्ञान सम्बन्धी सूचकांक. सूखा हेतु जल विज्ञान के तीन सूचकांक महत्वपूर्ण है. इन तीन में किसी भी एक सूचकांक के पूर्ण होने पर सूखा घोषणा हेतु ट्रिगर – 2 के इस दूसरे मापदंड की पूर्ति होगी. जल विज्ञान सम्बन्धी तीन सूचकांक निम्नानुसार है, 1) जलाशय भण्डार सूचकांक (Reservoir Storage Index, RSI), 2) भू-जल सूखा सूचकांक (Ground Water Drought Index, GWDI), 3) धारा प्रवाह सूखा सूचकांक (Stream Flow Drought Index, SFDI).


1.8.1. जलाशय भण्डार सूचकांक (Reservoir Storage Index, RSI). जलाशयों में जल की उपलब्धता सूखा हेतु महत्वपूर्ण साक्ष्य है. यह सूचकांक केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार एवं जल-संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा तैयार किया जाता है. जलाशयों में जल की 30-40 % की कमी मध्यम सूखा हेतु इस मापदंड को पूरा करेगी और इसी प्रकार जलाशयों में जल की 40 % से अधिक की कमी गंभीर सूखा हेतु इस मापदंड को पूर्ण करेगी.

1.8.2. भू-जल सूखा सूचकांक (Ground Water Drought Index, GWDI). सूखा की स्थिति होने पर भू-जल के स्तर में कमी होना स्वाभाविक है और इस कारण यह सूचकांक सूखा की स्थिति का आकलन हेतु महत्वपूर्ण है. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भारत सरकार एवं लोक-स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इस सूचकांक की गणना की जाती है. सूचकांक का -0.31 से -0.45 के मध्य होना मध्यम सूखा हेतु इस मापदंड को पूरा करेगा और इसी प्रकार सूचकांक -0.45 से भी निम्न होना गंभीर सूखा हेतु इस मापदंड को पूरा करेगा.

1.8.3. धारा प्रवाह सूखा सूचकांक (Stream Flow Drought Index, SFDI). नदियों एवं जल-धाराओं में प्रवाह की कमी सूखा का महत्वपूर्ण संकेतक है. इस सूचकांक की गणना केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार एवं जल-संसाधन विभाग द्वारा की जाती है. सूचकांक का 0.05 से 0.2 के मध्य होना मध्यम सूखा हेतु इस मापदंड को पूरा करेगा और इसी प्रकार सूचकांक 0.2 से भी निम्न होना गंभीर सूखा हेतु इस मापदंड को पूरा करेगा.

1.9. सुदूर संवेदन सूचकांक (Remote Sensing Index). सुदूर संवेदन तकनीक से विस्तृत क्षेत्र की फसल एवं वनस्पति की निगरानी कि जाना संभव हुआ है. सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर दो सूचकांक है जो की 1) सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) एवं सामान्यीकृत अंतर नमी सूचकांक (Normalized Difference wetness Index, NDWI) है. इनकी गणना भारत सरकार के महालानोबीस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र एवं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा किया जाता है. इन दोनों सूचकांक में से किसी भी एक का 40-60 % होने पर मध्यम सूखा हेतु यह मापदंड को पूर्ण होगा. इसी प्रकार दोनों सूचकांक में से किसी भी एक का 40 % से भी निम्न होना गंभीर सूखा हेतु इस मापदंड को पूरा करेगा.

1.10. मृदा नमी के सूचकांक (Soil Moisture Index). मृदा नमी भौगोलिक एवं फसलों की स्थिति ज्ञात करने हेतु महत्वपूर्ण मानक है. किसी भी फसल के विभिन्न चरण होते है जिसमें 'प्रारंभिक विकास का चरण',



‘वनस्पति विकास का चरण’ एवं ‘प्रजनन का चरण’. किसी भी चरण पर मृदा में नमी की कमी होने से फसल को क्षति होने की संभावना होती है. अतः मृदा नमी के आंकड़ों का साप्ताहिक परीक्षण भी आवश्यक है. मृदा नमी के मापदंड के दो सूचकांक है 1) मृदा नमी का उपस्थित प्रतिशत (Percentage Available Soil Moisture) एवं 2) नमी पर्याप्तता सूचकांक (Moisture Adequacy Index)

1.10.1. मृदा नमी का उपस्थित प्रतिशत (Percentage Available Soil Moisture, PASM). PASM की गणना वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा मृदा नमी सूचकांक (Soil Moisture Index, SMI) विधि से की जाएगी. 51 से 75 % होने के दशा में यह सूचकांक मध्यम सूखा हेतु मृदा नमी के मापदंड को पूरा करेगा और 50 % से कम होने की दशा में गंभीर सूखा की स्थिति हेतु मापदंड पूर्ण होगा. इस मापदंड को फसल, मृदा के प्रकार, फसल के विकास के चरण के आधार पर विशेषज्ञों से परामर्श अनुसार राज्य शासन द्वारा संशोधित किया जा सकेगा.

1.10.2. नमी पर्याप्तता सूचकांक (Moisture Adequacy Index, MAI). MAI की गणना भी वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा केन्द्रीय सूखा मैनुअल -2016 में वर्णित विधि अनुसार की जाएगी. 51 से 75 % होने के दशा में यह सूचकांक मध्यम सूखा हेतु मृदा नमी के मापदंड को पूरा करेगा और 50 % से कम होने की दशा में गंभीर सूखा की स्थिति हेतु मापदंड पूर्ण होगा.

1.11. सूखा के अन्य कारक. उपरोक्त वर्णित ट्रिगर – 1 एवं ट्रिगर – 2 के मापदंडों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर दृष्टि रखेंगे. यह कारक सूखा की घोषणा हेतु अनिवार्य नहीं है पर सूखा का समग्र अध्ययन एवं मूल्यांकन हेतु प्रासंगिक होंगे. अन्य कारक निम्नानुसार होंगे:-


क) चारा की उपलब्धता, वर्तमान एवं सामान्य बाजार मूल्य, एवं पशु शिविरों की स्थिति

ख) मानव एवं पशुधन हेतु पेयजल की स्थिति

ग) वर्तमान एवं सामान्य स्थिति में कृषि एवं गैर कृषि मजदूरी दर एवं जिला में रोजगार एवं असामान्य पलायन की स्थिति

घ) खाद्य पदार्थों की आपूर्ति एवं आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की स्थिति

1.12. मौका सत्यापन (Ground Truthing). वैज्ञानिक मापदंडों की पुष्टि एवं क्षेत्र की स्थिति को गहराई से ज्ञात करने हेतु मौका सत्यापन आवश्यक है. मौका सत्यापन से नमूना सर्वे द्वारा सूखा की भौगोलिक सीमा एवं गंभीरता का सही-सही आकलन हो सकता है. मौका सत्यापन में प्रभावित क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों में से रैंडम (random) तरीके से चुने हुए 10% ग्रामों का चयन किया जाएगा. चयन 10% ग्रामों में प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक मुख्य फसल के पांच (5) खेतों का सर्वेक्षण किया जाएगा. मौके पर खेत में प्राप्त स्थिति को यथा संभव geo-tag कर स्मार्टफोन द्वारा app के माध्यम से जानकारी फीड की जाएगी. एक एकड़ से छोटे खेतों का नमूना सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा. मौका सत्यापन में अगर 33% या अधिक की क्षति पायी जाती है तो क्षेत्र मध्यम सूखा हेतु पात्र माना जाएगा. 50% से अधिक की फसल क्षति गंभीर सूखा हेतु पात्र होगी.




2) सूखा निर्धारण एवं घोषणा की विधि

2.1. सूखा निर्धारण की विधि. कंडिका 1.1. से कंडिका 1.14. में वर्णित विधि अनुसार प्रारूप-1 अनुसार तालिका में प्रत्येक तहसील एवं जिला का विश्लेषण किया जाएगा. अगर जिला कलेक्टर को ज्ञात होता है की कोई क्षेत्र विशेष सूखा से प्रभावित है तो वह उस क्षेत्र विशेष का विश्लेषण भी उपरोक्त तालिका अनुसार कर सकता है. जिला स्तर पर सूखा की निगरानी हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता अंतर्विभागीय समिति गठित है जिसके माध्यम से जिला कलेक्टर सूखा की नियमित समीक्षा करेंगे. संभव है की सभी मापदंडों की वैज्ञानिक जानकारी जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं हो; ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा उपलब्ध जानकारी को राज्य शासन को भेजा जाएगा. राहत आयुक्त कार्यालय राज्य स्तर पर अप्राप्त/अज्ञात जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित कर उसका विश्लेषण करेगा.

2.2. राज्य-स्तरीय फसल-मौसम निगरानी समिति: प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी एवं राहत उपायों हेतु राज्य-स्तर पर मुख्य-सचिव की अध्यक्षता में फसल-मौसम निगरानी समिति गठित है. उक्त समिति में पूरक जानकारी एवं विश्लेषण के साथ जिला कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के साथ राहत आयुक्त द्वारा सूखा की स्थिति का विश्लेषण राहत आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. उक्त समिति द्वारा उपलब्ध जानकारी एवं प्रतिवेदनों के आधार पर प्रशासनिक इकाईओं को सूखा घोषित करने पर निर्णय लिया जा सकेगा.

2.3. ट्रिगर 1 एवं 2 के आधार पर सूखा निर्धारण. ट्रिगर - 1 के तीन मापदंडों में किसी भी एक मापदंड की पूर्ति होने पर ट्रिगर - 1 पूर्ण माना जाएगा. ट्रिगर 1 पूर्ण होने उपरान्त ही ट्रिगर - 2 हेतु परीक्षण किया जाएगा. जिस प्रशासनिक इकाई ट्रिगर - 1 के मापदंडों को पूर्ण नहीं करती उसके लिए ट्रिगर - 2 पर विचार नहीं किया जाएगा. ट्रिगर-2 के चार मापदंडों में किसी भी दो के गंभीर एवं एक के मध्यम होने की स्थिति में वह क्षेत्र गंभीर सूखा हेतु मान्य किया जा सकेगा. इसी प्रकार ट्रिगर-2 के चार मापदंडों में किसी भी दो मापदंड के मध्यम होने पर स्थिति में वह क्षेत्र मध्यम सूखा हेतु मान्य किया जा सकेगा. पुनः स्पष्ट किया जाता है की गंभीर सूखा निर्धारण हेतु ट्रिगर-2 के उपलब्ध चार मापदंडों में तीन का पूर्ण होना आवश्यक है जिसमें आवश्यक रूप से दो मापदंड गंभीर श्रेणी में एवं एक मापदंड मध्यम श्रेणी में पूर्ण होना आवश्यक है.

2.4. सूखा की अधिसूचना. सूखा की घोषणा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा जिसमें सूखा के भौगोलिक क्षेत्र एवं प्रशासकीय इकाई का वर्णन होगा. प्रशासकीय इकाई ग्राम पंचायत, तहसील अथवा जिला हो सकती है. अधिसूचना में सूखा के गंभीर अथवा मध्यम होने का उल्लेख होगा. सूखा की अधिसूचना अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रहेगी. राज्य सरकार सूखा द्वारा सूखा की अधिसूचना आवश्यकता पड़ने पर 6 माह की अवधि से पूर्व भी वापस ली जा सकती है. खरीफ़ के सूखे की अधिसूचना अधिकतम 30 अक्टूबर और रबी के सूखे की अधिसूचना अधिकतम 31 मार्च तक जारी की जाएगी. शीघ्र राहत व्यवस्था हेतु समय-सीमा में सूखा की घोषणा की जाना आवश्यक है.



2.5. **सूखा की अग्रिम घोषणा.** अगर माह जून एवं जुलाई में 50% या अधिक अल्पवर्षा की स्थिति बनती है और इसके कारण बोनी के क्षेत्र में 25% या अधिक की कमी आती है और मृदा और वनस्पति में कमी पायी जाती है तो ऐसे स्थिति में खरीफ़ के सूखा की घोषणा राज्य सरकार द्वारा अगस्त या सितम्बर माह में भी की जा सकती है. इसी प्रकार अगर माह अक्टूबर एवं नवंबर में 50% या अधिक अल्पवर्षा की स्थिति बनती है और इसके कारण बोनी के क्षेत्र में 25% या अधिक की कमी आती है और मृदा और वनस्पति में कमी पायी जाती है तो ऐसे स्थिति में के सूखा की घोषणा राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, जनवरी या फ़रवरी माह में भी की जा सकती है.

3. सूखा राहत

3.1. **सूखा राहत कार्य.** सूखा की अधिसूचना के साथ ही सूखा राहत कार्य प्रारंभ होंगे. सूखा एक जटिल घटना है जिससे निपटने हेतु क्षेत्र विशेष की योजना और अन्तर्विभागीय समन्वय आवश्यक है. सूखा के लक्षण प्रकट होते ही कलेक्टर सूखा राहत हेतु बनाई गयी योजना के अंतर्गत बुनियादी राहत कार्य प्रारंभ कर देंगे. कलेक्टर सूखा के लक्षण प्रकट होने पर पेयजल उपलब्धता, खाद्य सामग्री उपलब्धता, चारा उपलब्धता आदि की स्थिति का आकलन करेंगे एवं प्रारूप-1 के परिशिष्ट के प्रारूप में मांग भेजेंगे. राजस्व वसूली की माफ़ी, कृषि ऋण वसूली में छूट, आरबीसी-6-4 से अंतर्गत सर्वेक्षण आदि कार्य राज्य शासन के निर्देश उपरान्त ही किए जायेंगे.

3.2. **राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4.** सूखा की अधिसूचना एवं राज्य शासन के निर्देश उपरान्त जिला कलेक्टर का दायित्व है की वह आर.बी.सी. 6-4 के अंतर्गत फसल-हानि, उद्यानिकी-हानि, मत्स्य-हानि एवं पशु हानि हेतु सर्वे कार्य शुरू कराएंगे. सर्वे कार्य एवं राहत राशि वितरण में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा. जिला कलेक्टर शीघ्रता से नज़री सर्वे अनुसार अनुमानित मांग राहत आयुक्त को भेजेगा जिससे की मांग मेमोरेण्डम के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जा सकें. आर.बी.सी 6-4 के अंतर्गत विस्तृत सर्वे करने के उपरान्त कलेक्टर अंतिम मांग को प्रारूप-2 में राज्य शासन को भेजेगा.

3.3. **उपलब्ध जल स्रोतों का पुनरुद्धार:** सूखा के समय कतिपय पुराने एवं उपलब्ध जल स्रोत जैसे की तालाब, कुआं, बावड़ी आदि सूख जाते हैं. सूखने के कारण यह पुराने स्रोत गहरीकरण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार योग्य हो जाते हैं. जल स्रोतों का पुनरुद्धार में शासन के निर्देश अनुसार सभी विभागों की उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा कार्य कराया जा सकेगा. जिला कलेक्टर का दायित्व है की वह शासकीय योजनाओं एवं जनभागीदारी के प्रावधानों का पालन करते हुए इन योजनाओं में आवश्यकता अनुसार पुनरुद्धार कार्य कराए. पुनरुद्धार कार्य में आवश्यक है की जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सकें जिससे की जलसंरक्षण हेतु सामाजिक अभियान जिला में चल सकें.



4. पेयजल सम्बन्धी राहत कार्य

4.1. **उपलब्ध जल का प्रबंधन.** सूखा पड़ने की स्थिति में सभी प्रकार के जल संग्रह जैसे की जलाशय, भू-जल स्रोत, नदी-नाला इत्यादि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. कलेक्टर का दायित्व है की सूखा का संकेत मिलते ही जिला स्तर सूखा प्रबंधन समिति की आहूत कर जल प्रबंधन हेतु सूखा समयावधि में जल की मांग का आकलन करें और जल की आपूर्ति हेतु योजना बनाए. प्रत्येक ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक व्यावहारिक आकलन कर मानव पेयजल, पशु-धन पेयजल, कृषि की मांग, उद्योग की मांग आदि का आकलन आवश्यक है. गंभीर पेयजल संकट संभावित क्षेत्रों का पृथक से विशेष आकलन कर आपातकालीन योजना बनाना आवश्यक है. उपलब्ध जल को प्राथमिकता क्रम अनुसार उपयोग किया जाना आवश्यक है जिसमें मानव एवं पशु-धन के पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है.

4.2. **जल-अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करना.** प्रदेश में सूखा के समाधान हेतु मध्य-प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम – 1986 प्रभावी है, जिसके अंतर्गत जिला कलेक्टर को यह शक्तियां प्राप्त है की वह समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हांकित करते हुए ऐसे क्षेत्रों को “जल-अभावग्रस्त” क्षेत्र घोषित करें और ऐसे क्षेत्रों में नदी, नालों से पेयजल के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए बिना अनुज्ञा प्राप्त किए जल का उपयोग प्रतिबंधित करें. अतएव सभी जिला कलेक्टर का दायित्व है की वह प्रतिवर्ष मानसून के उपरान्त एवं ग्रीष्मकाल से पूर्व जिला में उपलब्ध जल की स्थिति की समीक्षा करते हुए मध्य-प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम – 1986 के अंतर्गत कारवाई सुनिश्चित करें.

4.3. **उपलब्ध स्रोतों की मरम्मत.** समय-समय पर कई जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोत सूख जाने के कारण पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है. इस संकट के लिए योजना बनाई जाना आवश्यक है. सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल के वैकल्पिक स्रोत आकलन किया जाना आवश्यक है. अगर पेयजल के स्रोत मरम्मत योग्य है तो सर्वप्रथम उस स्रोत को मरम्मत किया जाना आवश्यक है. अनुभव में आता है की कई बार स्रोत में राईजर पाइप डालने से या मोटर लगाने से स्रोत सूखा अवधि में पेयजल आपूर्ति योग्य हो जाता है. सर्वप्रथम जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध जल-प्रदाय संसाधनों की मरम्मत की जाना आवश्यक है. इस कार्य में लोक-स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल-संसाधन विभाग एवं ग्रामीण-विकास विभाग कलेक्टर का सहयोग करेगा.

4.4. **आपातकालीन मरम्मत योजना.** जिला कलेक्टर सभी तकनीकी एजेंसी एवं स्थानीय निकायों के साथ परामर्श कर आपातकालीन योजना तैयार करेंगे जिसमें तकनीकी पर्यवेक्षक, हैंडपंप मिस्त्री आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. योजना अनुसार स्पेयर-पार्ट एवं अन्य आवश्यक सामान की उपलब्धता आवश्यक है. आवश्यक सामान के साथ ग्राम पंचायतों में तत्काल समाधान हेतु मोबाइल-वैन आदि की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित की जा सकती है. नवीन अधोसंरचना का निर्माण एवं उपलब्ध अधोसंरचना



की मरम्मत का प्रथम एवं मुख्य दायित्व लोक-स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है. जिला कलेक्टर द्वारा योजना अनुसार मांग सम्बंधित विभाग से की जाएगी.

4.5. आपदा राहत कोष से आकस्मिक कार्य हेतु व्यय. सूखा की अधिसूचना जारी होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र में सूखा अवधि में किए पेयजल स्रोतों की मरम्मत की प्रतिपूर्ति आपदा राहत कोष के सकेगी. उक्त कार्य तभी लिए जा सकेंगे जब विभागीय बजट में राशि उपलब्ध न हो और पेयजल समस्या के तात्कालिक निदान के लिए कतिपय राशि की आवश्यकता हो. आपदा राहत कोष से किए जाने वाले कार्य की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रूपए प्रति कार्य होगी जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी. ऐसे कार्यों हेतु जिला कलेक्टर राहत आयुक्त कार्यालय से मांग कर सकेगा. मांग के साथ जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक कार्य का विवरण प्रारूप-3 में प्रेषित की जाएगी. आपदा राहत कोष के कार्यों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी अथवा जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा. जिला कलेक्टर द्वारा आपदा राहत कोष से किए जाने वाले 5% कार्यों का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा.

4.6. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन. कंडिका 2 से 6 तक वर्णित उपायों के किए जाने के उपरान्त भी यदि पेयजल संकट उत्पन्न होता है तो ऐसे स्थिति में जिला कलेक्टर पेयजल परिवहन हेतु क्षेत्रों को चिन्हांकित कर सकेगा. राहत मद से पेयजल परिवहन केवल आपातकालीन स्थिति में अधिकतम 30 दिवस एवं कंडिका 2.3. के प्रावधान अनुसार सूखा पड़ने की स्थिति में अधिकतम 90 दिवस तक किया जा सकेगा. भीषण सूखा पड़ने की स्थिति में राज्य शासन की पूर्वानुमति उपरान्त 90 दिवस से अधिक का परिवहन किया जा सकेगा. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा जारी की जा सकेगी. अनुमति में परिवहन अनुमति के राजस्व ग्राम/माजरा/टोला आदि का वर्णन एवं प्रतिदिन टैंकर के अधिकतम फेरों का वर्णन होगा. निर्धारित फेरों से अधिक परिवहन का व्यय राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा. अनुविभागीय अधिकारी की पूर्व-अनुमति के बिना किया गया व्यय भी मान्य नहीं होगा. पेयजल परिवहन 1.6 किलोमीटर से अधिक दूरी से ही किया जाएगा, उपरोक्त से कम दूरी की स्थिति में पाइपलाइन या अन्य साधनों से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी. पेयजल परिवहन का दर निर्धारण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी. यथासंभव जन-भागीदारी द्वारा एवं ग्राम-पंचायत के माध्यम से ही पेयजल परिवहन कराया जाएगा.

4.7. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन की मांग एवं कार्य योजना. जिला कलेक्टर द्वारा संकट संभावित ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल परिवहन की योजना तैयार की जाएगी और आपातकालीन स्थिति हेतु मांग राहत आयुक्त कार्यालय से की जाएगी. राहत आयुक्त द्वारा परीक्षण उपरान्त प्राप्त राशि का उपयोग केवल समस्याग्रस्त ग्रामों में जहाँ पेयजल से समस्त स्रोत समाप्त हो गए हो और मरम्मत भी संभव नहीं हो में कंडिका 4.6. में वर्णित विधि से किया जाएगा. सूखा अवधि समाप्त होने के उपरान्त जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम-वार विवरण सहित पेयजल परिवहन की जानकारी प्रारूप-4 में भेजी जाएगी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा.



4.8. नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट का निदान. नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था का मूल दायित्व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों का है. कतिपय नगरीय निकायों में समय-समय पर विशेष/आपातकालीन पेयजल संकट उत्पन्न होता है जिस स्थिति में राहत की आवश्यकता पड़ती है. नगरीय निकाय के मामले में भी कंडिका 4.3., 4.4. एवं 4.5. के प्रावधान लागू होने. प्रथम वरीयता में उपलब्ध पेयजल अधोसंरचना की मरम्मत की जाएगी, दूसरी वरीयता में आपातकालीन योजना तैयार की जाएगी एवं तीसरी वरीयता में आपदा राहत कोष से अधोसंरचना मरम्मत की जाएगी. उक्त तीनों उपायों के उपरान्त भी पेयजल समस्या होने पर ही पेयजल परिवहन किया जाएगा. पेयजल परिवहन केवल आपातकालीन स्थिति में अधिकतम 30 दिवस एवं कंडिका 2.3. के प्रावधान अनुसार सूखा पड़ने की स्थिति में अधिकतम 90 दिवस तक किया जा सकेगा. भीषण सूखा पड़ने की स्थिति में राज्य शासन की पूर्वानुमति उपरान्त 90 दिवस से अधिक का परिवहन किया जा सकेगा.

4.9. नगरीय क्षेत्रों में पेयजल परिवहन की कार्ययोजना. जिला कलेक्टर विशेष/आपातकालीन स्थिति की संभावना को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में पेयजल परिवहन हेतु कार्य-योजना तैयार करेंगे जिसमें पेयजल परिवहन की संभावित अवधि, जल-स्रोत की दूरी, प्रतिदिन आवश्यक फेरों का पूर्ण विवरण होगा. तैयार की गयी कार्ययोजना जिला कलेक्टर द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजी जाएगी, जिस पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सर्वप्रथम अपने वित्तीय संसाधन से राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा. यदि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग यह पाता है की स्थानीय निकाय एवं विभाग द्वारा अपने वित्तीय संसाधन से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करना संभव नहीं है; उस दशा में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अपनी इस टीम के साथ की ऐसे क्षेत्रों में पेयजल परिवहन हेतु मांग संख्या 58 के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, नगरीय निकाय-वार राशि आवंटित करने की अनुशंसा राहत आयुक्त से करेगा. स्पष्ट किया जाता है की राहत मद से पेयजल परिवहन विशेष अथवा आपातकालीन स्थिति में ही किया जाएगा, नियमित परिवहन राहत मद से नहीं किया जा सकता है.

4.10. नगरीय निकायों द्वारा पेयजल परिवहन. नगरीय क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर पेयजल परिवहन की अनुमति जिला कलेक्टर, द्वारा जारी की जाना आवश्यक है. सर्वप्रथम शासकीय एवं निकाय के टैंकरों द्वारा परिवहन किया जाएगा; शासकीय टैंकर से स्थिति नियंत्रण में नहीं आने की स्थिति में ही निजी या अन्य टैंकरों का उपयोग किया जाएगा. नगर पंचायत की स्थिति में नगर पंचायत में मांग का आकलन एवं प्रतिदिन टैंकर के अधिकतम फेरों का वर्णन परिवहन आदेश में होगा. नगरपालिका एवं नगर-निगम की स्थिति में निकाय की वार्डवार मांग का आकलन एवं वार्ड-वार प्रतिदिन टैंकर के अधिकतम फेरों का वर्णन परिवहन आदेश में होगा. निर्धारित फेरों से अधिक परिवहन का व्यय राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा. जिला कलेक्टर की पूर्व-अनुमति के बिना किया गया व्यय भी मान्य नहीं किया जाएगा. पेयजल परिवहन 1.6 किलोमीटर से अधिक दूरी से ही किया जाएगा, उपरोक्त से कम दूरी की स्थिति में पाइपलाइन या अन्य साधनों से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी. पेयजल परिवहन का दर निर्धारण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की

जाएगी. यथासंभव जन-भागीदारी द्वारा एवं ग्राम-पंचायत के माध्यम से ही पेयजल परिवहन कराया जाएगा. सूखा अवधि समाप्त होने के उपरान्त जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम-वार विवरण सहित पेयजल परिवहन की जानकारी प्रपत्र-4 में भेजी जाएगी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा.

5. पलायन एवं राहत रोजगार

5.1. राहत कार्य एवं रोजगार. सूखा पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संकट उत्पन्न होता है जिससे पलायन की स्थिति निर्मित होती है. प्रभावित जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एवं पलायन रोकने हेतु मनरेगा योजना अत्यंत प्रभावी है.

5.2. मनरेगा योजना. वर्तमान में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) शासन की रोजगार उन्मुखी योजना है जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष में 100 कार्य दिवस का रोजगार प्रत्येक जॉबकार्ड धारी परिवार को उपलब्ध कराया जाता है. प्राकृतिक आपदा अथवा सूखा पड़ने की स्थिति में निर्धारित 100 दिवस के अतिरिक्त 50 अतिरिक्त दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है. जिला कलेक्टर को सुनिश्चित करना चाहिए के सूखा पड़ने की स्थिति में मनरेगा के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में कार्य खोले जाए. कार्य स्वीकृति हेतु अधिकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला स्तर पर पूर्व से दिए हुए हैं. जिला कलेक्टर मनरेगा योजना के अंतर्गत जिला योजना समन्वयक भी होता है. जिला कलेक्टर का दायित्व होगा की वह जरूरतमंद व्यक्तियों के जॉब-कार्ड विशेष शिविर के माध्यम से बनवाएं एवं लोगों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराएँ जिससे की पलायन की स्थिति निर्मित नहीं हो.

5.3. अन्य रोजगार कार्य: अगर कलेक्टर यह विनिश्चयन करता है की मनरेगा योजना रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त नहीं होगी तो वह सभी लाइन विभाग के साथ परामर्श करेगा की कौन-कौन से कार्य लिए जा सकते हैं. कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करेगा की जो भी विकास कार्य जिला में चल रहे उनमें स्थानीय जनसंख्या को ही रोजगार दिया जाए. विकास एवं निर्माण कार्य हेतु विभिन्न विभाग के अनेक कार्य समय-समय पर चलते रहते हैं. इसी प्रकार सांसद एवं विधायक निधि से भी कार्य स्वीकृत होते हैं. कलेक्टर सभी विभागों एवं मर्दों के कार्यों का अभिसरण सुनिश्चित करेगा. जिला स्तर पर रोजगार उपलब्ध करने हेतु शैल्फ ऑफ़ प्रोजेक्ट्स बनाई जाएगी. जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिला कलेक्टर इन सभी उपायों द्वारा सुनिश्चित करेगा की प्रत्येक व्यक्ति को उसके निवास स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध हो जाए.

5.4. राहत मद अंतर्गत रोजगार कार्य: यदि कलेक्टर यह पाता है की मनरेगा एवं अन्य समस्त शासकीय योजनाओं के अभिसरण उपरान्त भी प्रत्येक व्यक्ति को निवास स्थान से पांच किलोमीटर की दूरी में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वह ऐसे क्षेत्रों का विनिश्चयन करेगा जिनमें सभी उपलब्ध उपाय उपरान्त भी रोजगार की समस्या है. रोजगार की मांग का आकलन कर कलेक्टर प्रारंभ किए जाने हेतु कार्यों का चयन करेगा और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रभारी मंत्री जी से परामर्श उपरान्त जारी करेगा. कलेक्टर राशि हेतु अनुमानित मांग राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेगा. किसी भी दशा में कोई भी एक कार्य को खंड-खंड

में विभाजित नहीं किया जाएगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा, स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा.

5.4.1. राहत कार्यों में जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे, दूसरी प्राथमिकता उद्यानिकी एवं कृषि-वानिकी के कार्यों की होगी, तीसरी प्राथमिकता स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों की होगी. राहत कार्य हेतु कलेक्टर के 10.00 लाख एवं संभागायुक्त के 20.00 लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार होंगे. राहत कार्यों का उद्देश्य सूखा प्रभावित जनसंख्या को रोजगार देना है, इस कारण ठेके से कार्य करना प्रतिबंधित है, मशीन का प्रयोग अत्यावश्यक होने पर ही किया जाएगा, सामग्री व्यय की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत होगी जिसमें परिवहन व्यय भी शामिल होगा. कार्य की तकनीकी स्वीकृति कलेक्टर द्वारा चयन किए गए तकनीकी विभाग द्वारा की जाएगी.

5.4.2. राहत कार्यों में संलग्न श्रमिक को भुगतान मनरेगा योजना की प्रचलित दर पर किया जाएगा. मजदूरों का भुगतान 2 सप्ताह की समय-सीमा में किया जाना आवश्यक होगा. पारदर्शिता हेतु कार्य में संलग्न सभी मजदूरों का नाम एवं भुगतान साप्ताहिक रूप से ग्राम पंचायत भवन के सूचना पटल पर किया जाएगा. खरीफ़ के सूखा में केवल वही कार्य लिए जाएंगे जो आगामी वर्ष के जून माह तक पूर्ण हो सकें, रबी के सूखा में उस वर्ष के दिसम्बर माह तक पूर्ण किए जाने वाले कार्य को लिया जा सकेगा. राहत कार्यों में व्यय की नियमित समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए की आवंटित राशि से अधिक का व्यय नहीं हो. किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि का उपयोग पूर्व वर्ष के लंबित देयक भुगतान में नहीं किया जा सकेगा. भुगतान पूर्णतः कलेक्टर द्वारा कोषालय के माध्यम से बिल लगाकर सीधे हितग्राही के खाते में किया जाएगा.

6. पशुचारा एवं पशु शिविर


6.1. चारा की उपलब्धता: पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है. सूखा की स्थिति में शासन की प्राथमिकता है की पशुधन की मृत्यु अथवा संकट-बिक्री नहीं हो. पशुधन की सुरक्षा हेतु पेयजल, चारा, दवाओं का समुचित प्रबंधन किया जाना उचित है. सामान्यतः प्रदेश में चारे की कमी नहीं होती है पर कतिपय क्षेत्रों में ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है. सूखा पड़ने की स्थिति में कलेक्टर का दायित्व है की वह पशुपालन विभाग के मैदानी अधिकारियों के साथ चारा की स्थिति का आकलन करें एवं चारा की कमी की स्थिति परिलक्षित होने पर चारा की व्यवस्था करें.

6.2. पशु शिविर: चारा एवं पेयजल का संकट होने पर संभव है की पशु शिविर की आवश्यकता बनें. पशुधन की सुरक्षा हेतु प्रथम बार में 30 दिवस तक अस्थाई पशु शिविर का संचालन किया जा सकता है जो कि आवश्यकता पड़ने पर पुनः 30 दिवस (कुल-60 दिवस) तक संचालित किया जा सकता है. केवल भीषण सूखा की स्थिति में पशु शिविर 30 अतिरिक्त दिवस (अधिकतम 90) दिवस तक संचालित किया जा सकेगा. 90 दिवस के पश्चात राज्य शासन की अनुमति उपरान्त ही पशु शिविर का संचालन किया जा सकता है. पशु



शिविर के संचालन से पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा इस हेतु कार्य-योजना बनाई जा कर राहत आयुक्त को प्रेषित की जाएगी जिसके आधार पर आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा.

7.1. पेशगी का प्रावधान: जिला कलेक्टर आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक तहसीलदार को आवंटित राशि में से रुपया 25,000/- पेशगी के रूप में सूखा-काल में उपलब्ध करा सकता है जिससे की वह निरंतर स्थिति का आकलन करते हुए आपात स्थिति में पीड़ित को तत्काल सहायता उपलब्ध करा सकेंगे. सूखा काल समाप्त होने पर उक्त व्यय एवं राशि का समायोजन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा.



(अरुण पाण्डेय)

प्रमुख सचिव

राजस्व विभाग

मध्य प्रदेश शासन

क्रमांक. 216/257/2018/7-3


भोपाल, दिनांक 19/06/2018

प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु:-

- 1) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, समस्त विभाग
- 3) समस्त संभागीय आयुक्त
- 4) आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- 5) महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

सूचनार्थ:-

- 1) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
- 2) निज सचिव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
- 3) निज सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश
- 4) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क (वहलभ भवन प्रकोष्ठ), मंत्रालय



(अजय कटेसरिया)

उप सचिव

राजस्व विभाग

मध्य प्रदेश शासन